



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)

चलन्त वाहन पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु आवेदन पत्र

रसीद सं०:-

दिनांक :-

1. फर्म/एजेंसी का नाम :-
2. चलन्त वाहन पर प्रचार करने की तिथि :- से तक
3. चलन्त वाहन पर विज्ञापन का क्षेत्रफल :- लम्बाई चौड़ाई कुल
4. अनुज्ञप्ति शुल्क :-
5. दर :-
6. भुगतये राशि:- 7. भुगतान की राशि :-
8. चलन्त वाहन सं०:-
9. चलन्त वाहन का प्रकार :-

श्री/श्रीमती/सुश्री..... से विज्ञापन के आकार.....के एवज् में/-रु० प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)

चलन्त वाहन में विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु शर्त

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति मात्र आपके आवेदन में दिये गये तिथि तक ही मान्य होगा।
2. राँची नगर निगम द्वारा दी गयी अनुमति के अतिरिक्त अन्य कोई विज्ञापन प्रदर्शन मान्य नहीं होगा।
3. जन स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव डालने वाले वस्तुओं (जिसे सरकार द्वारा हानिकारक घोषित किया जा चुका है) तथा अश्लीलता प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी।
4. कोटपा के अंतर्गत पान/गुटका/तम्बाकु/शराब आदि नशीले पदार्थों का प्रदर्शन नहीं करना होगा।
5. अपने फर्म/एजेंसी नाम के अतिरिक्त यदि कोई अन्य कम्पनी/प्रोडक्ट का नाम प्रदर्शित करने से पूर्व निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
6. निगम द्वारा कोई अन्य कोई शर्त लगाया जाता है, तो उसका ससमय पालन करना होगा।
7. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अंतर्गत शर्तों एवं Jharkhand Local Bodies Advertisement Regulation 2017 के निहित प्रावधानों का पालन करना होगा।
8. यह अनुमति फर्म/एजेंसी परिवर्तित करने की स्थिति में स्वतः समाप्त हो जायेगी।
9. यदि फर्म/एजेंसी द्वारा विज्ञापन का प्रकार/कम्पनी का नाम/एजेंसी का नाम बदलने से पूर्व निगम को इसकी सूचना देकर अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
10. यह अनुमति केवल वाहन पर किये गये प्रचार पर मान्य होगा।
11. वाहन पर घोषणा (Announcement) के संबंध में यातायात पुलिस से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
12. नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची को यह अधिकार रहेगा कि वे दी गयी स्वीकृति को कभी भी निरस्त कर सकते हैं तथा विज्ञापन पट्ट को बिना किसी पृच्छा के हटवा सकते हैं।

अपर नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।